Form 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section of the Representation of the People Act, 1951

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan State from the 150 Jhadol (ST) Assembly Constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Shri Babu lal kharadi, Mu. Nichlathala, Po.-Dhedmaria, Teh. Kotra. Dist. Udaipur (Raj.)

sponsored by **Bharatiya Janata Party** has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place - Udaipur Dated - 03-12-2023

(Manilal Tirgar)

उपचन्छ क्ष्मिकारी एवं उपचन्छ मुक्तिर्देट हास्त्रीत

प्ररूप 21ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सयिरोध हो) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा

झाडोल -150 (अ. ज. जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधानसभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि -

श्री बाबूलाल खराड़ी, मु. निचलाथला पो. -ढेडमारीया तह. कोटडा जि. उदयपुर (राज.) जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खडे किए गए है।

उपर्युक्ता निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए है।

स्थान: उदयपुर (राज.)

दिनांक 03-12-2023

(मणीलाल तीरगर)

रिटिमिमा छिन्धिकारी विधानसभा बाँत्र 150 झाड़ांस (ब.ज.जा.) उपचापा खबिकारी एवं उक्खन्ड मजिस्ट्रेट झाड़ोर